

समस्त माननीय जिला जायागीश, नारायणी
कार्यसं० १४ सन् २०२२

मीमती शखी सिंह को बन्धन उल्लंघनकारता अर्थात्

कदीसं० १ शखी सिंह (अरिख जितेन्द्र सिंह विरुद्ध (Kantil
attorneyholder) निम्न निवेदन कार्यालय:-

१) यह कि मुलायम उपरोक्त समस्त माननीय जायागीश
लेखक है। जिसमें विप्रेत तिथि का (३०/०५/२२) का
कार्यसं० २ से उत्तक का कमीशन रिपोर्ट संबंधित
वीडियो का भी व पत्रों प्रदान किया गया था।

२) यह कि काल दिनांक ३०/०५/२२ का विडियो का भी व
काल-ग्राम के विरुद्ध के परचात काई ग्रुप-चैनल पर
उपरोक्त कमीशन से संबंधित विडियो व पत्रों वायरल कर
देने जैसे जिसने के विरुद्धी शक्तिगों के हाथ होने
का साबित है। जबकि कार्यसं० २ का विडियो को
काल-ग्राम अतिजितेन्द्र न सिंगे जाने हेतु प्रार्थना पत्र
श्री समस्त अतिजितेन्द्र न सिंगे विडियो जमा है।

३) यह कि उपरोक्त वीडियो वायरल होना व ग्रुप-चैनल पर
बिना किसी कार्रवाई के संसुत्र के दिखाया जाना
व अज्ञान कर्मचारी की संज्ञा में दिखता है क्योंकि
यह देना का अज्ञान से संबंधित है।

अधिक लेनी स्थिति में अत्र परिष्कृत एवं केवल कुछ
अत्र व्यय के संबंध में जिससे वीक्षण व फॉलो वाउचर
का ह के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी के संबंध
में C.B.I. जांच विभाग द्वारा आगे लेना है वा।

प्रार्थना

आतः माननीय आचार्य से विनम्र अनुरोध
है कि अत्र परिष्कृत एवं केवल कुछ व वीक्षण व
फॉलो वाउचर ह के कारण के संबंध में
(C.B.I.) जांच विभाग द्वारा आगे लेना है वा।
वाक्य आभारपूर्वक

[Signature]